।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर ।।

क्रमांकः बं.शा./जयपुर/26/2019/पार्ट–2/32700-35 दिनांक :– 29/8/2019

अधीक्षक/उप अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला कारागृह/महिला बन्दी सुधारगृह,
राजस्थान।

विषयः– बंदियों के खुला शिविर प्रकरणों पर लिये गये निर्णय के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 31.12.2018 की स्थिति में आपकी कारागृह से प्राप्त बंदियों के खुला शिविर प्रकरणों पर दिनांक 11, 12 एवं 15.04.2019, 24.05.2019 तथा 30.07.2019 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक में विचार कर संदर्भित दिनांक (31.12.2018) तक 07 वर्ष 05 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार पूर्ण कर चुके बंदियों के प्रकरणों पर समिति द्वारा विचार किया जाकर कार्यवाही विवरण विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जा चुका है/किया जा रहा है।

अतः बंदी खुला शिविर समिति द्वारा बंदियों के प्रकरणों पर लिये गये निर्णय से बंदियों को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय

(विक्रम सिंह)
महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपिः– प्रभारी कम्प्यूटर सेल, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर को दिनांक 24.05.2019 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न किया जा रहा है, जिसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

29.8.19

महानिरीक्षक कारागार
राजस्थान जयपुर।

(E) Letter/1905

।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 24.05.2019 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर कमेटी की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के अंतर्गत गठित बंदी खुला शिविर समिति की **बैठक दिनांक 24.05.2019** को **महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर** की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :–

1. **श्री रूपिन्दर सिंघ** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार–प्रथम
   राजस्थान, जयपुर।
2. **श्री विक्रम सिंह** — **सदस्य**
   महानिरीक्षक कारागार–द्वितीय
   राजस्थान, जयपुर।
3. **श्री कैलाश चन्द** — **सदस्य**
   उप शासन सचिव,
   गृह (ग्रुप–12) विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।
4. **श्री सत्यपाल जांगिड़,** — **सदस्य**
   सहायक निदेशक,
   सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग,
   राजस्थान, जयपुर।

समिति की बैठक में दिनांक 11, 12 एवं 15.04.2019 को आयोजित बंदी खुला शिविर समिति की बैठक के पश्चात् कारागृहों से प्राप्त कुल 06 बंदियों के प्रकरणों पर विचार किया, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	धन्नाराम पुत्र जोगाराम	के.का. बीकानेर	बीकानेर	–
2.	असलम पुत्र सवाई खां	के.का. बीकानेर	चूरू	–
3.	पम्मा उर्फ परमजीतसिंह पुत्र अजायबसिंह	के.का. बीकानेर	हनुमानगढ़	–
4.	मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया	के.का. जयपुर	जयपुर	–

90

5.	शेख इमरान उर्फ रानू पुत्र मोहम्मद आमीन उर्फ दुल्हा भाई	के.का. कोटा	झालावाड़	—
6.	लाखन उर्फ लाखा पुत्र नाथूलाल	के.का. कोटा	बारां	—

समिति द्वारा राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 6 के प्रावधानानुसार निम्नांकित बंदियों को रिक्त स्थानों के विरूद्ध खुला शिविर में स्थानांतरित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया :–

क्र.सं.	बंदी का नाम मय वल्दियत	जेल का नाम, जहां बंदी सजा भुगत रहा है।	गृह जिला	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	धन्नाराम पुत्र जोगाराम	के.का. बीकानेर	बीकानेर	बंदी की प्रतिबंधित धारा की सजा समाप्त होने, कारागृह में संतोषप्रद आचरण एवं अधीक्षक जेल द्वारा की गई प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए।
2.	शेख इमरान उर्फ रानू पुत्र मोहम्मद आमीन उर्फ दुल्हा भाई	के.का. कोटा	झालावाड़	बंदी का कारागृह में संतोषप्रद आचरण एवं अधीक्षक जेल द्वारा की गई प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए।
3.	लाखन उर्फ लाखा पुत्र नाथूलाल	के.का. कोटा	बारां	बंदी का कारागृह में संतोषप्रद आचरण एवं अधीक्षक जेल द्वारा की गई प्रवंदना को ध्यान में रखते हुए।

<u>अस्वीकृत प्रकरणों का विवरण :–</u>

1. **असलम पुत्र सवाई खां, के.का. बीकानेर** :– बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 14 वर्ष 04 माह 15 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 31.03.2018 को कारागृह के वार्ड नं. 02 की बैरिक संख्या 06 में रात्रि गश्त के दौरान 01 मोबाईल फोन मय बेट्री सहित पकड़े जाने पर अधीक्षक जेल द्वारा बंदी को दिनांक 01.04.2018 को 01 माह मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया।

तत्पश्चात् दिनांक 17.04.2018 को तलाशी के दौरान वार्ड नं. 02 बैरिक संख्या 06 में बंदी से पुनः एक जियोनी फोन मय सिम बरामद होने पर अधीक्षक जेल द्वारा दिनांक 23.04.2018 को 01 माह की मुलाकात से वंचित किये जाने के जेलदण्ड से दण्डित किया गया। इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (छ) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी का आचरण असंतोषप्रद बताया है तथा खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी असलम पुत्र सवाई खां** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. **पम्मा उर्फ परमजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह, के.का. बीकानेर :– बंदी को निम्नांकित प्रकरणों में दण्डित किया गया है :–**

1. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संगरिया के प्रकरण संख्या 02/2008 अंतर्गत धारा 458, 326, 323 आई.पी.सी. में दिनांक 05.09.2008 को 10 वर्ष कठोर कारावास।
2. माननीय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश, संगरिया के प्रकरण संख्या 11/2008 अंतर्गत धारा 302, 307, 323, 324, 458, 449 आई.पी.सी. में दिनांक 31.01.2009 को आजीवन कारावास।

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 13 वर्ष 02 माह 03 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है तथा बंदी की प्रथम प्रकरण में सजा पूर्ण हो चुकी है तथा द्वितीय प्रकरण की सजा दिनांक 17.02.2017 से प्रभावी हुई है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 4 (ग) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी पम्मा उर्फ परमजीत सिंह पुत्र अजायब सिंह** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

3. **मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोड़िया, के.का. जयपुर :–** बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2018 तक 09 वर्ष 21 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर के आदेशानुसार बंदी को दिनांक 19.09.2009 को 30 दिवस नियमित पैरोल पर रिहा कर दिनांक 18.10.2009 को जेल दाखिल होने हेतु पाबंद किया गया था, किंतु बंदी नियत तिथि को जेल दाखिल नहीं होकर पैरोल से फरार हो गया। बंदी के विरूद्ध पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व में एफ.आई.आर. संख्या 169/2009 अंतर्गत धारा 224 आई.पी.सी. व संशोधित धारा 58 (2) कारागृह (राजस्थान संशोधन अधिनियम 2015) दर्ज करवाई गई। पुलिस थाना लालकोठी जयपुर शहर पूर्व द्वारा बंदी को गिरफ्तार

कर माननीय महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम 09 जयपुर महानगर के आदेशानुसार उक्त प्रकरण में दिनांक 30.01.2018 को जेल दाखिल कराया गया। बंदी 08 वर्ष 03 माह 12 दिवस पैरोल से फरार रहा है।

इस प्रकार वह राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम 1972 के नियम 3 (ग) के तहत साधारणतया एवं नियम 4 (क) के तहत खुला शिविर हेतु पात्र नहीं है, के कारण अधीक्षक जेल ने बंदी को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नहीं की है। बंदी फरारी प्रकरण में विचाराधीन भी है।

अतः उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से **बंदी मदन उर्फ मदनिया पुत्र मोडिया** को खुला शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

सदस्य	सदस्य	सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष
सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।	उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार–द्वितीय राजस्थान, जयपुर।	महानिरीक्षक कारागार–प्रथम राजस्थान, जयपुर।	महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।